संख्या ई0 डी0 एन0 –(21) एफ (9)7 / 2008–III– औषध दुरूपयोग
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेंश

दिनांक शिमला – 171001 01.08.2011

सेवा मे

1.समस्त प्राचार्य रा0 महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश।
2.समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक
रा. व. मा. / उच्च पाठशाला हिमाचल प्रदेश।

विषय **औषध दुरूपयोग और अवैध व्यापार के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस दिनांक 26 जून 2011 को माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा की गई घोषणा बारे ।**

ज्ञापन

उपरोक्त विषय पर माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश द्वारा औषध दुरूपयोग और अवैध व्यापार के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिनांक 26 जून 2011 को शिमला मे शिक्षा विभाग सें सम्बन्धित निम्नलिखित घोषणाऐं की हैं :–

1. **शिक्षण संस्थानों के आस–पास नशीली चीजे बेचने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा तम्बाकू उत्पाद व अन्य नशीले पदार्थों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे के भीतर बेचने पर प्रतिबन्ध को सख्ती से लागू करवाने हेतु विशेष अभियान चलाया जायेगा ।**
2. **स्कूलों के माघ्यम से नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ।**
3. **स्कूलों में अतिरिक्त पाठयक्रम सम्बन्धी गतिविधियों (Extra curricular Activities) को बढावा दिया जाएगा ताकि विद्यार्थी नशे से दूर रह सकें ।**

अतः आप उपरोक्त घोषणाओं को कार्यान्वित करने के लिए विशेष कदम उठाऐं तथा नशे की बुराई से समाज को मुक्त करवाने के प्रयास करें । इसके अतिरिक्त **क्रम संख्या 2** मे र्दशाई गई घोषणा को सख्ती से लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाऐं तथा इस र्काय को पूर्ण करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग आवश्यक रूप मे लें ।

शिक्षा निदेशक(उच्चतर)
हिमाचल प्रदेंश

पृष्ठांकन सम सख्यक दिनाक शिमला–171001 01.08.2011
प्रतिलिपिः–

1 प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2 समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्च) हिमाचल प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं ।
3 रक्षक नस्ति ।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश